बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 62 / 2022–

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – भारतमाला परियोजना अन्तर्गत पटना एवं सारण जिलान्तर्गत शेरपुर–दिघवारा (गंगा ब्रीज पार्ट पटना रिंग रोड़) (0.00–15.020 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.065 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना अन्तर्गत पटना एवं सारण जिलान्तर्गत शेरपुर–दिघवारा (गंगा ब्रीज पार्ट पटना रिंग रोड़) (0.00–15.020 कि०मी०) पथ के निर्माण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.065 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (E) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के निर्माण में 0.065 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.01 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में मात्र 1 (एक) वृक्ष प्रभावित होगें परियोजना निर्माण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक वृक्ष का पुर्नस्थापन किया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. परियोजना निर्माण मे अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अलग से भेजा जायेगा।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.065 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 62,256/– (रूपये बासठ लाख दो सौ छप्पन) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू० 7,71,390/– मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./62/2022–872 दिनांक–28/09/2022

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

भारतमाला परियोजना अन्तर्गत पटना एवं सारण जिलान्तर्गत शेरपुर–दिघवारा (गंगा ब्रीज पार्ट पटना रिंग रोड़) (0.00–15.020 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.065 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
8	वन संरक्षक, सीवान द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
9	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

28/9/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।